ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 198-201

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

ग्रामीण एकल महिलाओं के समक्ष उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक समस्यायें : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मीरा देवी

शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र, समाज कार्य विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, (उ0प्र0) भारत

Received-21.11.2022, Revised-27.11.2022, Accepted-02.12.2022 E-mail: meeray671@gmail.com

सारांशः ***भारत, वर्ष 2015 में निर्धारित किये गये सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध है। गरीबी उन्मूलन, भुखमरी को समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता इत्यादि सतत् विकास लक्ष्यों को यदि 2030 तक प्राप्त कर लिया जाता है, तब इसका प्रभाव देश के विकास पर पड़ेगा। ग्रामीण एकल महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत् विकास लक्ष्यों में पर्याप्त प्रावधान किये गयें हैं. भारत जैसे परंपरागत देश में एकल महिलाओं को अशुभ माना जाता है। इसीलिए पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में एकल महिलाओं की भागीदारी का निषेध किया जाता है। ग्रामीण एकल महिलायें सामाजिक प्रताड़ना का शिकार तो होती ही हैं, साथ ही रोजगार की कमी के कारण यह महिलायें गंभीर आर्थिक संघर्ष का सामना भी करती हैं। इन महिलाओं को शोषण का सॉफ्ट टारगेट समझकर पुरुषवादी सोच इन्हें अपनी पिपासा को शांत करने का माध्यम बनाने में संकोच नहीं करता है। आधुनिक समय में एकल महिलाओं को शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।***

कुंजीभूत शब्द– एकल महिला, ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, समाज, सशक्तिकरण।

'नारी पैदा नहीं होती हैं, नारी बनायी जाती हैं', यह कथन जब नारीवादी आन्दोलन की जनक सिमोन द बउवा कहती हैं, तो इसके पीछे महिलाओं के दर्दनाक जीवन की एक विस्तृत कहानी होती है, जिसे वह समाज को समझाना चाहती हैं। वह बताना चाहती हैं कि महिलायें दीन–हीन जन्म से ही नहीं होती हैं बल्कि समाज महिलाओं की दीन–हीन छवि को गढ़ता है, जिसमें वह उन्हें फिट बैठाने की भरपूर कोशिश करता है। यहीं से प्रारंभ होती है महिलाओं की दुर्दशा, शोषण, अत्याचार की कहानी।

जनगणना–2001 के अनुसार भारत में कुल 51.2 मिलियन एकल महिलायें थी। 39 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2011 की जनगणना में एकल महिलाओं की संख्या 71.4 मिलियन हो गयी, जो कि कुल महिलाओं की संख्या का 12 प्रतिशत है। एकल महिलाओं में सम्मिलित हैं– विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित और परित्यक्ता महिलायें. महिलाओं की विवाह करने की औसत आयु 1990 में 19.3 वर्ष थी. यह बढ़कर वर्ष 2011 में 21.2 वर्ष हो गयी। 20–24 आयु वर्ग में लगभग 23 प्रतिशत (16. 9 मिलियन) महिलायें एकल हैं. इनकी संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2001 से 2011 के बीच हुयी, जबकि इसके सापेक्ष 25–29 आयु वर्ग में यह वृद्धि 68 प्रतिशत रही, जो कि सबसे अधिक है। इसका कारण महिलाओं की विवाह की औसत आयु में वृद्धि है, जो वर्ष 2011 में 1990 के स्तर 19.3 वर्ष से बढ़कर 21.2 वर्ष हो गयी है. ग्रामीण क्षेत्रों में 44.4 मिलियन एकल महिलाएं रहती हैं, जो कि कुल एकल महिलाओं का लगभग 62 प्रतिशत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एकल महिलाओं में सबसे अधिक संख्या (29.2 मिलियन) विधवा महिलाओं का है, जो कि अविवाहित महिलाओं (13.2 मिलियन) से अधिक है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में भी एकल महिलाओं में सबसे अधिक संख्या (13.6 मिलियन) विधवा महिलाओं का है, जो कि अविवाहित महिलाओं (12. 3 मिलियन) से भी अधिक है (जनगणना 2011)।

आधुनिक समय में लोगों के जीवन में प्रगति हो जाने के बाद भी एकल महिलाओं का जीवन स्तर दयनीय बना हुआ है। विकासशील देशों में एकल महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, क्योंकि विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण इन वर्गों के अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। एकल महिलाओं को अनगिनत सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें परिवार और रिश्तेदारों द्वारा दी गयी शारीरिक और भावनात्मक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। दिन–प्रतिदिन की समस्याओं से लड़ने के लिए इन्हें निरंतर साहस की आवश्यकता होती है। एकल महिलायें वैदिक कल से ही अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। अपेक्षाकृत वैदिक काल में यदि एकल महिलाओं की स्थिति पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय इन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उनके ऊपर जबरन सामाजिक बन्धनों को थोपा नहीं जाता था। बेटियों का जन्म अभिशाप नहीं था और ना ही उनका पालन–पोषण माता–पिता के लिए बोझ था। समय के साथ महिलाओं की स्थिति कमजोर होती गयी। मध्यकाल में अनेक सामाजिक प्रतिबंधों को महिलाओं पर थोप दिया गया। आधुनिक काल में समाज सुधार आंदोलनों और सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से इनकी स्थिति में कुछ प्रगति जरुर हुयी लेकिन अभी–भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग विकास की धारा में नहीं आ पाया है।

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो" यह कथन जब जयशंकर प्रसाद कहते हैं, तब वह एक ऐसी नारी को समाज का आदर्श

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो ममता, प्यार और वात्सल्य की साक्षात् मूर्ति हो तथा परम्पराओं और मूल्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का तर्क न करे। क्या हम आधुनिकता के साये में जीवन जीते हुए उपरोक्त तथ्य से सहमत हो सकते हैं। क्या हम इसे सार्वभौमिक सत्य मानकर चुप बैठे रहें। क्या हम यह मान लें कि एक प्रगतिशील विचार वाली महिला, समाज का आदर्श नहीं हो सकती है। हमें इन सब बातों पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है क्योंकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण तभी कर पायेंगे जब प्रत्येक हाथ का सहयोग विकासक्रम में प्राप्त होगा, वह चाहे महिला हो अथवा पुरुष, क्योंकि विकासक्रम में महिलाओं के योगदान को नजरंदाज करने का दुष्परिणाम महिलाओं के विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास पर भी पड़ा है। यह जग–जाहिर है कि जब भी महिलाओं को अवसर मिले है तब वह बुलंदियों को छूने से पीछे नहीं हटी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एकल महिलाओं के समक्ष सामाजिक समस्यायें– सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर कम है, शैक्षिक सुविधाओं की कमी है, समाज की सोच रुढ़िवादी है और आधारभूत सुविधाओं की कमी है। ऐसी परिस्थिति में अकेले रहने वाली महिलायें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होती हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति लोगों की सोच को निर्धारित करने में आज भी सामाजिक परम्पराएं, रूढ़ियाँ और मान्यताएं निर्धारक तत्व हैं। यह परम्पराएं, रूढ़ियाँ और मान्यताएं एक ऐसे आदर्श सामाजिक व्यवस्था को पोषित करतें हैं जिसमें, महिलाओं को निम्न सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। महिला यदि एकल है, तब उसकी सामाजिक स्थिति निम्न में भी निम्नतम होने की अधिक सम्भावना होती है। एकल महिलाओं का सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होना अशुभ माना जाता है। यदि कोई महिला विधवापन, परित्याग और तलाक के कारण एकल होती है, तब सम्पूर्ण दोष उस महिला की किस्मत को यह पुरुषवादी समाज दे देता है। हालत तो तब और दयनीय हो जाती है जब महिलायें ही किसी एकल महिला के घाव पर मरहम लगाने के स्थान पर उसे ही ताने मारने लगती हैं। समाज में अविवाहित महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत ठीक मानी जा सकता है, क्योंकि अधिकतर अविवाहित महिलायें अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाकर, बिना समझौता किये हुए स्वतंत्र रूप से जीवन जीने हेतु अविवाहित रहने का निर्णय लेती हैं, लेकिन समाज इन्हें भी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि समाज एक ऐसी व्यवस्था को पल्लवित और पोषित करता है, जिसमें महिलाओं को पुरुष के अभाव में अपूर्ण माना जाता है, साथ ही पुरुषों को यह किंचित मात्र भी स्वीकार नहीं होता है कि कोई महिला उनकी सत्ता को चुनौती दे। इसीलिए पुरुषवादी समाज धार्मिक और परम्परात्मक मूल्यों का हवाला देकर महिलाओं को अपनी सत्ता के अधीन लाने का प्रयास करता है। ग्रामीण समाज में एकल महिलाओं की दशा सामाजिक रूप से और भी दयनीय है, क्योंकि ग्रामीण समाज आज भी अपने परम्परात्मक स्वरुप को बनाए हुए है, जिसमें एकल महिलाओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, न ही उन्हें सामाजिक पहचान प्राप्त होती है। समाज इन महिलाओं के दर्द को नहीं समझता है। इनके अंतर्मन में छिपे हुए दुःख के अथाह समंदर को देखने की चेष्टा शायद ही कोई भला व्यक्ति करता हो। एकल महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए पुरुषवादी समाज लालायित रहता है। हद तो तब हो जाती है जब ऐसी महिलायें अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहती हैं. परिवार के लोग ही उसपर कुदृष्टि डालने लगते हैं। इस प्रकार से इन महिलाओं के समक्ष एक ऐसी कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, जिसमें वह अपनी भावनाओं को किसी से भी अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, क्योंकि वह न ही घर और न ही बाहर सुरक्षित हैं। धार्मिक ग्रन्थ जो महिलाओं के सम्मान का गुणगान करते नहीं थकते हैं, उन्हीं ग्रंथों का सहारा लेकर महिलाओं को पग–पग पर अपमान का घूँट पीने के लिए विवश किया जाता है। यदि कोई महिला इन धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के विरुद्ध कही गयी बातों का प्रतिकार करती है तो यह समाज उन्हें सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एकल महिलाओं के समक्ष आर्थिक समस्यायें– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 25.51 प्रतिशत थी. यह भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में 30.02 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 15.44 प्रतिशत थी. 2011 में श्रम बल में कुल 149.8 मिलियन महिलायें सलंग्न थी। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से 121.8 मिलियन और नगरीय क्षेत्रों से 28.0 मिलियन महिलायें थी। कुल 149.8 मिलियन महिलाओं में से 35.9 मिलियन महिलाएं कृषि कार्य में और 61.5 मिलियन कृषि मजदूर के रूप में रोजगार में संलग्न थी। शेष महिलाओं में से 8.5 मिलियन महिलायें घरेलू उद्योगों में और 43.7 मिलियन महिलाएं अन्य कार्यों में संलग्न थी। आंकड़ों पर यदि ध्यान दें, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संख्यात्मक दृष्टि से अधिक महिलायें रोजगार में संलग्न हैं और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आय भी अधिक होगी, लेकिन यह सच्चाई का स्याह पक्ष है। जब हम इन आंकड़ों पर सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं, तब सच सामने आता है, क्योंकि भारत गांवों में बसता है और ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण अधिकांश ग्रामीण महिलायें कृषि कार्यों में लगी हुयी हैं। कृषि लाभ का सौदा न होने के कारण ग्रामीण महिलायें अपनी आवश्यकताओं की

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

पूर्ति के लिए भी संघर्ष करती रहती हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश महिलायें संगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं, जिससे उन्हें अधिक आय की प्राप्ति होती है।

यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक है। वर्ष 2012 में गरीबी के आकलन हेतु गठित की गयी सी. रंगराजन समिति के अनुसार 2011–12 आधार वर्ष के आधार पर गरीबी के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खर्च 32 रूपये और नगरीय क्षेत्रों में 47 रूपये है. इस आधार पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत 30.9 प्रतिशत है। यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में औसत गरीबी को दर्शाता है, लेकिन यदि महिलाओं और उसमें भी एकल महिलाओं की औसत गरीबी को ग्रामीण क्षेत्रों में निकालने का प्रयास किया जाए, तो यह आंकड़ा बहुत नीचे पहुँच जाएगा, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को हतोत्साहित किया जाता रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य दशाओं के न होने के कारण भी इन्हे रोजगार प्राप्त करने और रोजगार में निरंतर बने रहने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और उच्च आय वाले रोजगार के अवसरों की कमी और कृषि कार्यों में अधिकांश महिलाओं का संलग्न होना भी उनकी आर्थिक स्थिति को निम्न बनाने के लिए पर्याप्त है।

महिलाओं में भी यदि एकल महिलाओं और उसमें भी ग्रामीण एकल महिलाओं की बात की जाए, तो उनकी आर्थिक स्थिति एक विमर्श का मुद्दा बन जाती है। स्वेक्षा से अविवाहित एकल महिलाओं की आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक है, अपेक्षाकृत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के। यह महिलायें छोटी–छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं, क्योंकि समाज इन महिलाओं को पहले ही अपंग बना चुका था, मूल्यों, मान्यताओं और परम्पराओं आदि का वास्ता देकर, जिससे कि महिलाएं घर की चाहरदीवारी तक ही सीमित हो जायें। समाज में आर्थिक पर–निर्भरता के कारण एकल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण जैसे कृत्य होते रहते हैं। आर्थिक और सामाजिक कमजोरी के कारण एकल महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एकल महिलाओं की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए समाज और सरकारी नीतियां दोनों जिम्मेदार हैं। स्वेच्छा से अविवाहित एकल महिलाओं की अपेक्षा अन्य एकल महिलायें निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अन्यायपूर्ण सामाजिक–आर्थिक जीवन जीने के लिए विवश हैं।

ग्रामीण एकल महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थित में सुधार लाने के लिए सुझाव– यह सर्वमान्य तथ्य है कि ग्रामीण एकल महिलाओं को दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अनेकों सामाजिक बंधन भी उन्हें घुट–घुट कर जीने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन इस स्थिति को स्थायी नहीं माना जा सकता है अर्थात इसमें सुधार किया जा सकता है. सुधार हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं–

- ग्रामीण एकल महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक के साथ ही उच्च शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होनी चाहिए।
- इन महिलाओं को सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- बेरोजगार ग्रामीण एकल महिलाओं के लिए पेंशन और आवास की समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
- ऐसी महिलाओं के लिए पैतृक और पति की संपत्ति में हिस्सा मिलने का प्रभावी प्रावधान करना।
- एकल महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कामकाजी एकल महिलाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर हॉस्टल की सुविधा प्रदान करना।
- एकल महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध कराना।
- सरकारी योजनाओं में इन्हें प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
- एकल महिलाओं के प्रति समाज की सोच और धारणाओं में बदलाव लाने के लिए सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रयास करना।
- एकल महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए गारंटी रहित कर्ज की व्यवस्था करना।
- इन महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर प्रयास किया जाना।

निष्कर्ष– कोई देश विकास के पथ पर अग्रसर तभी होता है, जब विकास के पायदान पर चढ़ने के क्रम में हर हाथ का प्रभावी सहयोग प्राप्त हो। हर हाथ का सहयोग तभी मिलता है, जब हर हाथ सशक्त और मजबूत होता है। लगभग आधी आबादी के 12 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले हाथों को मजबूत करके हम दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते है। एक तो कम उन 12 प्रतिशत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि स्थिति को बेहतर करेंगे ही, साथ में देश की तरक्की में उनका अमूल्य योगदान भी ले सकेंगे। महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव और अपराधों में कमी लाने के लिए भी एकल महिलाओं को सशक्त करने की जरुरत है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक में भारत की निरंतर गिरती स्थिति को सुधारने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि स्थिति बिगड़े, उससे पहले ही समय रहते हमें प्रभावी कार्यवाही

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

करना चाहिए। स्पष्ट है कि हमें एकल महिलाओं, साथ ही अन्य महिलाओं के हितों को भी नीति–नियोजन के ध्यान में रखकर प्रयास करने होंगे और उनके लिए समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाना होगा. इसी में समाज और राष्ट्र का हित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Simone de Beauvoir, Second Se, Publication Alfred A- Knopf, 2009.
2. 71 million Single Women, 39% Rise Over A Decade thewire-in.
3. Manjari – Stree ke Mann ki emanjari-com.
4. I Am a Single Woman by Choice- Why Won*t Society Let Me Be\ youthkiawaaz-com.
5. कामायनी – विकिपीडिया (wikipedia-org).
6. 10 Important Issues Single Women Face And How to Combat Them missmillmag-com.
7. Bindeshwar Pathak, Satyendra Tripathi 2016, Widows In India: Study Of Varanasi And Vrindavan, Rawat Publication, Jaipur, page 182&186.
8. Shubhra Parmar, Nariwaadi Shiddhant Aur Vyawhaar, Oriental Blackswaan Publication, Haidrabaad, Ed- 2017, Pg- 12.
9. वर्मा, सुबोध, "सेपरेशन मोर कॉमन दैन डिवोर्स इन ऑल रिलीजन्स, सेन्सस डाटा रिवील्स", टाइम्स ऑफ इण्डिया, 14 मई, 2017।
10. Doshi, S-L- P-C- Jain, ÞPramukh Samajshastreey Vicharakß Rawat Publication, Jaipur, Reprinted 2013, Pg-138.
11. राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच (एन.एफ.एस.डब्ल्यू.आर.) द्वारा 2012 में प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित "हमारी उपेक्षा कब तक"।
12. About Women Labour | Ministry of Labour & Employment.
13. एकल महिलाओं की समस्याएं – Navbharat Times Reader^s Blog indiatimes-com.
14. Rangarajan Report on Poverty pib-gov-in.
15. Singh, V-N-, Janmejay Singh, Naariwaad Rawat Publication, Jaipur, Reprinted 2018, Pg-385.
16. A draft policy for single women in India & The Week

*****